



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी प्रकरण क्रमांक :- /2017

R-1316-F-17

1. विवेक निधि घोष तनय हरीसिंह घोष, निवासी हसारी गेट के पास छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. जितेन्द्र सिंह चौहान तनय स्व. सुरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी नौगांव जिला छतरपुर (म. प्र.)

.....निगराकारगण

बनाम्

श्री सुनील सिंह पांडे
द्वारा आज दि. 3-5-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामकली पुत्री चुन्टा पत्नी बाबूलाल अहीर, निवासी सटई रोड छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. कौशलकिशोर शुक्ला तनय सीताराम शुक्ला, निवासी पटवारी मुहल्ला, छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. नारायण काले तनय महेश्वर काले, निवासी छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
4. नत्थू पिता बाबूलाल अहीर, निवासी सटई रोड छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. शासन मध्यप्रदेश

.....प्रतिनिगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

निगरानी कारण दिनांक 20.05.2016 प्रकरण क्रमांक 159बी/121/2015-16 आदेश पत्रिका 20.05.16 लगातार 22.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर

महोदय,

निगराकारगण की ओर से विनय इस प्रकार है :-

खसरा क्रमांक 3428, 3434, 3436, 3426, 3438, 3429, 3430 एकत्र रकवा 3 हेक्टेयर अधीनस्थ न्यायालय के आवेदन पत्र में संलग्न उल्लेखित रकवा एवं खसरा क्रमांक में (भूमि स्थित छतरपुर सटई रोड पर स्थित जो आगे मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं उल्लेखित

R 1316-II/17

बिना चलाए

2-1-18

आपके डक-काम की सुग्रीब
 सिद्धे आरौत उपर। आपके डक काम
 प्रशासक के कारों यथागत नहीं चलने की
 प्रशासक के समालोचने का
 निर्णय दिया गया। आरौत के बीच
 पदवी के आरौत आपकी नहीं। प्रशासक
 नहीं है। पा-गैर प्रेम के समालोचन
 आरौत की प्रशासक अधिकारी के लिए

2-1-18
 प्रशासक
 प्रशासक